20-1-20 आज पत्रावली पेश हुई [illegible]
उभय पक्ष उपस्थित/ अवरोध की तलब
होकर दि॰ 25-2-20 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

दिनांक 25–02–2020

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वादी की ओर से दिनांक 17–2–20 को श्री ओ.पी.अग्रवाल एडवोकेट ने वकालत नामा व प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जा.दी.प्रस्तुत करते हुये वाद पत्र में संशोधन करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र की नकल वकील प्रतिवादी को दी गयी जो प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत करना नहीं चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र का जबाब बन्द किया जाता है।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि वाद पत्र अभी तलबी में ही लम्बित है तथा वकील प्रतिवादी को भी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जा.दी. स्वीकार करना उचित समझते है।

अतः वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वांछित संशोधन करने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली वास्ते संशोधित वाद पत्र व तलबी दिनांक 12–03–2020 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
महवा (दौसा)